बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–01 / स्था0 (का0पदा0)–12 / 2022 10751 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–05/10/25

विभागीय अधिसूचना सं0–7259 दिनांक–30.06.2025 द्वारा श्री दीनानाथ सिंह, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को नगर परिषद, जहानाबाद से नगर पंचायत, रजौली में स्थानान्तरित किये जाने के निर्णय / आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में श्री सिंह द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0–15498 / 2025 दायर किया गया है, जिसमें दिनांक–22.09.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा याचिकाकर्त्ता (श्री दीनानाथ सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद) एवं प्रतिवादी सं0–05 (श्री गोपाल कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कुशेश्वर स्थान) के स्थानान्तरण संबंधी आदेश पर Stay लगाया गया है।

श्री गोपाल कुमार विभागीय अधिसूचना सं0–7259 दिनांक–30.06.2025 के अनुपालन में नगर पंचायत, कुशेश्वर स्थान का प्रभार सौंपकर दिनांक–08.09.2025 के अपराह्न से विरमित हो गये एवं दिनांक–09.09.2025 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के समक्ष योगदान समर्पित किया गया है। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, जहानाबाद के अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया जा सका।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अधिसूचित पद का प्रभार नहीं मिलने के कारण प्रभार ग्रहण करने हेतु विभाग से मार्गदर्शन देने का अनुरोध किया गया है।

2. अतः उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री गोपाल कुमार, बि0न0से0, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कुशेश्वर स्थान अधिसूचित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कुशेश्वर स्थान का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करने का निदेश दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह० / –
(राजीव रंजन तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0 (का0पदा0)–12 / 2022 10751 / न0वि0आ0वि0, पटना / दिनांक–05/10/25

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, दरभंगा / जहानाबाद / श्री गोपाल कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कुशेश्वर स्थान अधिसूचित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जहानाबाद / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव / आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/10/2025

सरकार के अवर सचिव।